बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–आवंटन–01/2014 1925 खाद्य, पटना/दिनांक 02/05/2020

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– माह अप्रैल 2020 का खाद्यान्न का अंतिम अवशेष का आकलन के पश्चात खाद्यान्न की आवश्यकता का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न का मासिक आवंटन के साथ–साथ माह अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के लिए मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। विदित हो कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधान के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा खाद्यान्न के आवंटन के अनुमोदन के पश्चात ही जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा उपावंटित खाद्यान्न की राशि जमा की जाती है तथा उसका उठाव कर वितरण किया जाता है। नये पात्र लाभुकों (किन्नर सहित) को दिये गये राशन कार्ड के आधार पर उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से उनके क्षेत्रान्तर्गत सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों में खाद्यान्न के भण्डार का भौतिक सत्यापन कराकर वास्तविक रूप से दुकान में पायी गयी मात्रा के आलोक में नये पात्र लाभुकों को खाद्यान्न का आवंटन देने के पश्चात् आवश्यकता के संबंध में पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न की अधियाचना की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथोक्त।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र06–आवंटन–01/2014 1925 खाद्य, पटना/दिनांक– 02/05/2020
प्रतिलिपिः– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

<u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत बढे हुये पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के पात्र लाभुकों हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न की अधियाचना</u>

प्रपत्र– क

पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी अंतर्गत वर्तमान में आच्छादित		अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत वर्तमान में आच्छादित	
कुल परिवारों की संख्या (राशन कार्ड)	कुल लाभुकों की संख्या (परिवार के मुखिया सहित लाभुकों की संख्या)	कुल परिवारों की संख्या (राशन कार्ड)	कुल लाभुकों की संख्या (परिवार के मुखिया सहित लाभुकों की संख्या)
1	2	3	4

जिला पदाधिकारी

<u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत बढ़े हुये पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के पात्र लाभुकों हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न की अधियाचना</u>

प्रपत्र–ख

विभागीय पत्र सं0 7149 दिनांक 04.09.2015 द्वारा पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में किया गया आवंटन			पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध खाद्यान्न का वितरण		विभागीय पत्र सं0 7149 दिनांक 04.09.2015 द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना में किया गया आवंटन			अन्त्योदय अन्न योजना में आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध खाद्यान्न का वितरण		पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या (2--5)	पूर्विकता प्राप्त श्रेणी के लाभुकों हेतु प्रति लाभुक 02 किलो गेहूँ एवं 03 किलो चावल प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त अधियाचित खाद्यान्न की मात्रा	
पूर्विकताप्राप्त जनसंख्या	खाद्यान्न का आवंटन				अन्त्योदय परिवारों की संख्या	खाद्यान्न का आवंटन						
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल		गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल		गेहूँ	चावल
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

जिला पदाधिकारी